डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

ओमपति पत्नी केशराराम जाति मेघवाल निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू
–वादिनी–

<u>बनाम</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज.)
–प्रतिवादी–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.</u>
मुकदमा नं. 05 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वादिनी स्वयं मिनजानिब मुदईब व तहसीलदार, चूरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः–

वादिनी द्वारा पेश दस्तावेजात, तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत लोहसना बड़ा एवं रिपोर्ट तहसीलदार, चूरू के आधार पर दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि ख.नं. 190, 203, 935/191 तादादी क्रमशः 3.0730, 3.0604, 4.8688 कुल 11.0022 हैक्टेयर रोही ग्राम बास महलान तहसील चूरू में दर्ज खातेदार ओमपति पत्नी नोरंगराम हिस्सा 71/87 जाति मेघवाल निवासी लोहसना बड़ा के स्थान पर ओमपति पत्नी केशराराम हिस्सा 71/87 जाति मेघवाल निवासी लोहसना बड़ा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार, चूरू उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 25 माह जनवरी सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू